अनुस्मारक–1

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सैक्टर 1, सी–30 डिफैंस कालोनी, देहरादून
दूरभाषः 0135–2666778, 2666779 ईमेलः uicddn@gmail.com
संख्याः /उ.सू.आ./2012 दिनांकः मार्च 20, 2012

प्रेषितः
1. **समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन**
2. **मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमांऊ मण्डल, पौड़ी / नैनीताल**
3. **समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड**
4. **समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड**
5. **समस्त प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड**

विषय : आयोग के आदेशों/निर्देशों की अनुपालन आख्या के प्रारूप का निर्धारण.

महोदय/महोदया,

आयोग द्वारा विभिन्न द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों में पारित अंतिम आदेशों में लोक सूचना अधिकारियों को उनके स्तर से की जाने वाली कार्यवाही हेतु आदेशित / निर्देशित किया जाता है. अधिकतर मामलों में उपरोक्त ऐसे आदेशों / निर्देशों के सापेक्ष लोक सूचना अधिकारियों द्वारा की गयी अनुपालन कार्यवाही की आख्या आयोग को प्रेषित नहीं की जा रही है जिससे द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों पर अंतिम रूप से अनुपालन के संबंध में स्थिति अस्पष्ट बनी रहती है. इस अस्पष्टता के कारण प्रार्थियों तथा आयोग का परिहार्य समय एवं श्रम भी नष्ट होता है.

2. उपरोक्त अस्पष्टता को दूर करने के उद्देश्य से आयोग द्वारा एक अनुपालन आख्या प्रारूप निर्धारित किया जा रहा है जिसका उपयोग निम्नवत् किया जायेगा :

2.1 निर्धारित प्रारूप को आयोग द्वारा पारित ऐसे समस्त अंतरिम आदेशों / अंतिम आदेशों का भाग बनाया जायेगा जिनमें आयोग द्वारा लोक प्राधिकारियों /लोक सूचना अधिकारियों / प्रथम अपीलीय अधिकारियों के स्तर से अनुपालनात्मक कार्यवाही की जानी निश्चित की जायेगी.

2.2 संबंधित लोक प्राधिकारी / लोक सूचना अधिकारी / प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा वांछित कार्यवाही को आदेश में निर्धारित सम्यावधि के अंतर्गत पूर्ण कर उसकी प्रस्तरवार अनुपालन आख्या उक्त निर्धारित प्रारूप पर आयोग में प्रस्तुत की जायेगी.

2.3उपरोक्त अनुपालन आख्या की प्रति को संबंधित लोक प्राधिकारी / लोक सूचना अधिकारी / प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा अपनी संबंधित पत्रावली में भी रखा जायेगा.

2.4अनुपालन आख्या को निर्धारित प्रारूप पर समयान्तर्गत आयोग को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में आयोग द्वारा उत्तरदायी अधिकारी/ लोक सूचना अधिकारी / प्रथम अपीलीय अधिकारी के विरूद्ध अधिनियम के प्राविधानानुसार कार्यवाही की जायेगी.

3. समस्त लोक प्राधिकारी / विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष कृपया अपने एवं अपने अधीनस्थ स्तरों पर नामित लोक सूचना

अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों को आयोग के निर्देशों तथा संलग्न अनुपालन आख्या प्रारूप से अवगत कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें.

संलग्न : यथोपरि.

(एन. एस. नपलच्याल)
मुख्य सूचना आयुक्त

प्रतिलिपि : समस्त राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग को सूचनार्थ प्रेषित.

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग को इस निर्देश के साथ कि कृपया संलग्न प्रारूप के प्रयोग की प्रक्रिया से आयोग के समस्त आशुलेखकों को भी अवगत करायें.
2. उप सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग
3. विधि अधिकारी, उत्तराखण्ड सूचना आयोग

संलग्न : यथोपरि.

(एन. एस. नपलच्याल)
मुख्य सूचना आयुक्त